

विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा

1	योजना का नाम	विदेश यात्रा
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की परीक्षा पास करना
3	प्रारंभ होने का वर्ष	यह योजना वर्ष 2010-11 से लागू हुई
4	लाभान्वित वर्ग	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएँ
5	पात्रता	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राएँ
6	देय सुविधा	उक्त तीन छात्राओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा की सुविधा
7	आवेदन का तरीका	साधारण पेपर पर सहमति, सहमति प्राप्त होने पर 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर अण्डर टेकिंग लेना
8	आवेदन कहाँ किया जावे	अभिभावक की सहमति पर 100/- के स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना
9	औपचारिकताएं	निर्धारित 100/- के स्टाम्प पेपर पर अभिभावक की सहमति एवं दो गवाहों के हस्ताक्षर सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना
10	सम्पर्क सूत्र	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कार्यालय
11	शिकायत प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम)